न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 18/2022

1. हर्षवर्धन सिंह पुत्र किशोर सिंह, जाति राजपूत निवासी पोंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. विक्रम सिंह पुत्र किशोर सिंह, जाति राजपूत निवासी पोंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थीगण–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अं0धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी सरकार बनाम हर्षवर्धन सिंह, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956, मु0न0 38/2020 निर्णय दिनांक 14.03.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री विजयपाल, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक– 30.9.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.03.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हर्षवर्धन सिंह मु0नं0 38/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि:– अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही की सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट को गैर हाजिर बताकर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 3060/1834 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु. रास्ता में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली पर फर्द नपती रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिये पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत ने मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। रास्ता की राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चौड़ाई कितनी है तथा मौके पर कितनी है, दर्ज नहीं किया है। अपीलांट का तथाकथित कब्जा पूर्वजों के समय से है। तथाकथित अतिक्रमण नया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण से आवागमन में कोई बाधा हो यह रिपोर्ट भी नहीं है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad
Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही की सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट को गैर हाजिर बताकर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 3060/1834 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु.रास्ता में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली पर फर्द नपती रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिये पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत ने मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। रास्ता की राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चौड़ाई कितनी है तथा मौके पर कितनी है, दर्ज नहीं किया है। अपीलांट का तथाकथित कब्जा पूर्वजों के समय से है। तथाकथित अतिक्रमण नया हो,ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण से आवागमन में कोई बाधा हो यह रिपोर्ट भी नहीं है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं [illegible] अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार हाल भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता में से 0.5 है0 सरकारी भूमि पर अपीलांट हर्षवर्धन सिंह, विक्रम सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर व पक्के मकानात बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट को सुना गया है एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। विवादित भूमि रास्ते की भूमि होना बताया गया है जो आमजन के उपयोग की भूमि है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण/कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 उनवानी सरकार बनाम हर्षवर्धन सिंह मु0नं0 38/2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested